महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

अति आवश्यक

निविदा जारी की तिथि 10.09.2025
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय
दिनांक 15.09.2025 समय अपरान्ह् 2.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि एवं समय
दिनांक 15.09.2025 समय अपरान्ह् 2.30 बजे
निविदा शुल्क 500/—
अनुमानित लागत : रूपये 9.90 लाख
बोली प्रतिभूति राशि रूपये 19800/—

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र 53-1

कुलसचिव,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर ।

विषयः— **निकट भविष्य में विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले समारोहों एवं बैठकों हेतु अल्पाहार एवं भोजन आपूर्ति का वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु अल्पकालीन निविदा।**

सन्दर्भः— विश्वविद्यालय की निविदा सूचना कमांक 53-1 दिनांक 10.09.2025

1. निविदा सूचना संख्या दिनांक जो आपके द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, का भी हम पालन करने के लिये सहमत हैं (समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं)
2. कार्यादेश (फर्म आर्डर) प्राप्त होने की तारीख से..................................दिवस की अवधि के भीतर में कार्य कर दिया जायेगा ।
3. बिड सुरक्षा राशि हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में रू. 19800/— का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या........................... दिनांक......................... प्रस्तुत है ।
4. निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में रू. 500/— का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या........................... दिनांक......................... प्रस्तुत है ।
5. वित्तीय बिड में अंकितानुसार कार्य एवं सामान व मजदूरी एंव समस्त व्यय एवं करों सहित दरें अंकित कर दी गई है।
6. प्रस्तावित दरें कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष के लिये वैद्य होगी।
7. निर्धारित घोषण पत्र संलग्न है।
8. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पेन कार्ड की प्रति संलग्न कर दी गई है।
9. निविदा शर्तानुसार अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेब साईट www.mdsuajmer.ac.in एवं राज्य सरकार की वेब साईट sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

नोटः— विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न समारोह एवं बैठकों हेतु अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था एवं आपूर्ति सामग्री/सामान/सेवा गुणवत्ता आदि में किसी प्रकार की लापरवाही/कमी नहीं होनी चाहिये। निविदादाता इस बाबत् अपनी क्षमता, संसाधन आदि से पूर्ण आश्वस्त हो तो ही अपनी निविदा प्रस्तुत करें।

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक

फर्म का नाम..
एवं डाक का पूरा पता..

संलग्न उपरोक्तानुसार

पता..
....
मोबाईल नं0 ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा की विशिष्ट शर्तें

1. निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित समय/मीनू व दरों पर आगन्तुकों/विशिष्ठ अतिथियों/विद्यार्थियों को उच्च क्वालिटी का अल्पाहार एवं भोजन बनाकर उपलब्ध कराना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निविदा की अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।
2. निविदादाता द्वारा अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था में प्रयोग होने वाली सामग्री उच्च किस्म की होगी, तेल एगमार्का व शुद्ध सरस देशी घी का उपयोग करना होगा। मसाले, गेहूँ वगैरह अन्य सामग्री भी शुद्ध व उच्च क्वालिटी की काम में लेनी होगी। सब्जियाँ भी ताजा काम में ली जावेंगी। समस्त सामग्री पूर्ण सफाई व शुद्धता के आधार पर बनानी व सर्व करनी होगी। निविदादाता को शुद्ध व उच्च गुणवत्ता का खाना उपलब्ध करवाना होगा गुणवत्ता की पुष्टि के लिए गठित निरीक्षण समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर जांच की जावेगी।
3. फर्म को कार्यादेश जारी करने से पूर्व भोजन की गुणवत्ता की जांच समिति द्वारा की जायेगी एवं भोजन की गुणवत्ता सही पाये जाने के उपरांत ही कार्यादेश जारी किया जायेगा और निरीक्षण समिति की कार्य समाप्ति पर संतोषनजक रिपोर्ट पश्चात् ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत होगा।
4. निर्धारित मीनू में आवश्यकता पड़ने पर आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है उसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
5. निविदादाता द्वारा परिसर तथा आस–पास किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं फैलाई जाएगी तथा कचरे के लिए डस्टबीन का प्रयोग किया जाएगा। कार्य समाप्ति के पश्चात् सफाई करनी होगी।
6. स्वच्छ एवं साफ पीने के पानी के कैम्परों/बोतल की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
7. नाश्ते व भोजन के लिए उच्च किस्म की क्रॉकरी तथा टिशु पेपर भी रखने होंगे।
8. निविदादाता को व्यावसायिक गैस सिलैण्डर का ही उपयोग करना होगा।
9. बर्तन, क्रॉकरी, कैटरिंग तथा अन्य समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
10. बर्तन, क्रॉकरी, के टूट–फूट व रखरखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11. भोजन व्यवस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति स्वच्छ एवं साफ वर्दी में दस्ताने पहनकर भोजन व्यवस्था करेंगे। टेबिल पर उच्च क्वालिटी की एप्रिन लगाकर कैटर्स द्वारा भोजन करवाने की व्यवस्था करेंगे।
12. सुरक्षा (आग दुर्घटना आदि), साफ सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
13. निविदादाता या उसके कार्मिकों द्वारा अतिथियों व विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
14. निविदादाता या उसके प्रतिनिधिं द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा, नुकसान होने कि अवस्था में उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी व नुकसान की वसूली संवेदक से की जावेगी।
15. **नगर परिषद/नगर पालिका/नगर निगम/संबंधित राज्य सरकार के विभाग से खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र व अन्य जरूरी लाईसेन्स प्राप्त करने व निरीक्षण पर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।**
16. **भोजन से किसी प्रकार जनहानि होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। संवेदक को Food Safety and Security Licence का Registration होना आवश्यक है।**
17. चोरी, दुर्घटना एवं अन्य हानि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
18. **सफल निविदादाता को कार्यादेश पर कार्य की लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन सुरक्षा राशि विश्वविद्यालय, अजमेर में जमा करानी होगी, कार्य सम्पादन सुरक्षा राशि एक वर्ष तक कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**
19. निर्धारित शर्तों व स्पेसिफिकेशंस के अनुसार कार्य नहीं करने पर निर्धारित समिति/माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तावित शास्ती राशि की कटौती बिल से की जावेगी।
20. कार्य नहीं करने एवं अन्य से विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था करने पर जमा कार्य सम्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जावेगी।
21. वित्तीय बिड में आगन्तुकों की संख्या में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है एवं आवश्यकता अनुसार कार्यादेश में कम एवं ज्यादा किया जा सकेगा।
22. **कार्यादेश जारी होते ही निर्धारित प्रपत्र में रूपये 500/– के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करना होगा।**
23. अन्य सभी शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।

मेरे द्वारा उपरोक्त निविदा की समस्त वर्णित शर्तें स्वीकार कर ली गई है। मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

24. प्रस्तावित दरें एक वर्ष के लिए वैध होगी। जिसकी अवधि आगे 3 माह तक के लिये पारस्परित सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
25. वित्तीय बिड में समान दर प्राप्त होने पर सरकारी कार्यक्रम का कार्य अनुभव के आधार पर ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
26. किसी भी सरकारी संस्था द्वारा डीबार नहीं करने का शपथ–पत्र देना होगा।
27. इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। समस्त कार्य संतोषप्रद एवं समय पर पूर्ण करने पर बिल की तीन प्रतियां प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील व पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा की सामान्य शर्ते

1. निविदा की समस्त शर्तो में परिस्थिति अनुसार शिथिलता प्रदान करने का अधिकार कुलसचिव महोदय, मदसविवि, अजमेर के पास सुरक्षित रहेगा।
2. निविदादाता को निविदा दो सीव्ड लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी प्रथम लिफाफा तकनीकी प्रस्ताव का होगा दूसरा वित्तीय प्रस्ताव का तथा तकनीकी प्रस्ताव में समस्त सूचना देनी होगी। तकनीकी प्रस्ताव में योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेंगे।
3. दरों को शब्दों व अंकों दोनों में देना होगा। शब्दों व अंकों में भिन्नता होने पर शब्दों की दर मान्य होगी।
4. नियमानुसार जी.एस.टी. टैक्स/आयकर की कटौती की जावेगी।
5. विश्वविद्यालय, बजट एवं लेखा नियम (99) एवं सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 68 की शर्तों की पालना करनी होगी एवं लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तो की पालना भी करनी होगी।
6. निविदा को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव को रहेगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर ही रहेगा।
7. प्रथम अपील अधिकारी कुलपति, मदस विश्वविद्यालय अजमेर व द्वितीय अपील अधिकारी संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार होगें।
8. उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी व निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जाएगी।
9. निविदा संबंधी कार्य करने वाले अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायियों से आमंत्रित की जाती है। निविदादाता के पास **अल्पाहार एवं भोजन आपूर्ति** हेतु पर्याप्त संसाधन होने चाहिये।
10. **निविदादाता फर्म के पास राजकीय संस्थान/अन्य संस्थान में कार्य का अनुभव भी होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।**
11. अंकों एवं शब्दों में अंकित दरों में अन्तर होने की स्थिति में शब्दों में अंकित दर को मान्य किया जायेगा।
12. फर्म को कार्यादेशानुसार एवं इस हेतु गठित समिति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
13. निविदा में दी गई दरों में सभी प्रकार के सामान का किराया एवं उसका लाना, लगाना तथा समारोह के पश्चात् सामान को हटाना व वापिस ले जाना, इत्यादि सभी कार्य शामिल हैं। सभी सामान की सुरक्षा एवं उसकी चौकीदारी की जिम्मेदारी भी निविदादाता की ही होगी । इस हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी अथवा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
14. निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधी की गलती से विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार क्षति/आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली निविदादाता की सुरक्षा राशि तथा आवश्यकता पड़ने पर बिल की राशि से की जा सकती है।
15. समस्त कार्य संतोषप्रद सम्पन्न होने की स्थिति में निरीक्षण समिति के सत्यापन के आधार पर बिल का भुगतान किया जा सकेगा ।
16. किसी भी प्रकार की विवादस्पद स्थिति में कुलगुरू का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
18. निविदा में अंकित दर में अनुमोदन बाद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
19. किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कुलसचिव को आरक्षित है ।
20. न्यूनतम दर/व्यय पर कार्य कराने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है ।
21. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा अजमेर स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
22. सफल निविदाकार को दरों के अनुमोदन पश्चात् तीन दिवस में 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा सुरक्षा राशि कार्यादेश का 5 प्रतिशत जमा कराना होगा (निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत बिड सुरक्षा राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित मान्य कर लिया जावेगा)। इसके अभाव में बिड सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
23. कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में निम्न प्रकार से शास्ती राशि संवेदक के बिल से वसूली योग्य है:–

    1. निर्धारित समय से ¼ अवधि विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत

2. निर्धारित समय से ¼ अवधि से अधिक व ½ अवधि तक 5 प्रतिशत
3. निर्धारित समय से ½ अवधि से अधिक व ¾ अवधि तक 7½ प्रतिशत
4. निर्धारित समय से ¾ अवधि से अधिक के लिये 10 प्रतिशत

24. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में तथा पूर्णरूपेण नहीं किये जाने की स्थिति में कुलगुरू महोदय के आदेशानुसार निर्धारित राशि की कटौती बिल की राशि में से/धरोहर राशि में से की जावेगी।
25. यदि किसी परिस्थितिवश सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश मिलने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थ रहता है तो नियमानुसार सुरक्षा राशि/बयाना राशि जब्त की जावेगी।
26. सफल निविदाकार द्वारा कार्य सम्पन्न न करने की स्थिति में निविदाकार की रिस्क एवं कोस्ट के आधार पर कार्य अन्य से कराने पर हुए अधिक भुगतान की वसूली भी निविदाकार की जावेगी।
27. सफल निविदाकार को दरें अनुमोदित होने के तीन दिवस में अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें बोली प्रतिभूति राशि के रूप में जमा राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
28. किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
29. नियमानुसार करो की कटौती बिल से की जावेगी।
30. सामान्यतया बिड की समस्त मदों की कुल न्यूनतम राशि के आधार पर न्यूनतम बिडदाता का निर्धारण किया जावेगा। फिर भी क्रय समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी।
31. निविदा प्रपत्र www.mdsuajmer.ac.in एवं राज्य सरकार की वेब साईट sppp.rajasthan.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड करने की स्थिति में निविदा फॉर्म के शुल्क की राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, जो कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर को देय हो, संलग्न करना होगा।
32. वित्तीय बिड का लिफाफा अलग से बन्द कर उस पर वित्तीय बिड अंकित करना आवश्यक है। निविदादाता को पृथक–पृथक सील्ड लिफाफों में पृथक तकनीकी बिड व वित्तीय बिड देनी होगी। दोनों लिफाफे को पृथक से अन्य लिफाफे में सील्ड करके लिफाफे पर कार्य का नाम भी अंकित करना होगा।
33. तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने वाले निविदादता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
34. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम 2013 की शर्तें एवं विश्वविद्यालय बजट एवं लेखा नियम 1997 की अन्य सभी शर्तें लागू होगी।
35. दरें समान प्राप्त होने पर कार्यानुभव के आधार पर कार्यादेश जारी किया जायेगा।
36. फर्म को डीबार नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
37. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी।
38. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिये, पेंसिल से या अन्य से भरी गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
39. गत तीन वर्षो का विश्वविद्यालय/राजकीय उपक्रम/मान्यता प्राप्त संस्था में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र व कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
40. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अल्पाहार एवं भोजन निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाई जायेगी तो उन्हें रद्द कर दिया जायेगा तथा निविदादाता को ऐसी सामग्री को क्रेताधिकारी द्वारा नियत/निर्धारित समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
41. संलग्न सूची के अनुसार निविदा की दरें अनुबन्ध निष्पादन/आदेश प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी तथा जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार निविदा मूल्य के 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।
42. निविदादाता द्वारा अल्पाहार/भोजन सामग्री की आपूर्ति विभागीय आवश्यकता/मांग के अनुरूप कार्यादेश के अनुसार आदेशित तिथि के अन्दर की जायेगी।

मेरे द्वारा उपरोक्त निविदा की समस्त वर्णित शर्तें स्वीकार कर ली गई है। मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील,
पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
तकनीकी बिड़

कार्य का नामः महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर परिसर में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले **विभिन्न समारोहों/बैठकों** के अवसर पर विशिष्ट अतिथियों/वी.वी.आई.पी./विद्यार्थियों एवं आगन्तुकों हेतु अल्पाहार एवं भोजन बनाकर उपलब्ध कराने की भोजन, हाई टी व नाश्ता पैकेट मय चाय व्यवस्था।

निविदादाता को तकनीकी प्रस्ताव हेतु निम्न दस्तावेज सूचना तकनीकी प्रस्ताव लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी निविदा प्रस्ताव का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जावेगा। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा खोला जावेगा।

1. निविदा फार्म शुल्क रू. 500/- का डी.डी./बैंकर्स चैक नं. .... दिनांक .... कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय, संलग्न है।
2. बोली प्रतिभूति सुरक्षा राशि रू. ..../- डी.डी./बैंकर्स चैक नं. .... दिनांक .... कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय, संलग्न है।
3. (i) सक्षम सत्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न है।
   (ii) फर्म के PAN कार्ड की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न है।
   (iii) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न है।
4. निविदादाता का सक्षम प्राधिकार द्वारा कार्य करने का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं फूड सेफ्टी एवं सिक्योरिटी लाईसेंस का पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वःप्रमाणित प्रति।
5. निविदादाता को सरकारी या संस्थाओं में भोजन व्यवस्था का सफलता पूर्वक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र/सम्बन्धित विभागों के कार्योदेश की प्रति ।
6. निविदा में अंकित कार्य के लिए संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वयं का आधार कार्ड/पैन कार्ड/पहचान पत्र ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर पहचान पत्र की प्रति।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील व पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्था/ निगम/ बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय शील) कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाय तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बिड़ को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता व मो. नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
वित्तीय बिड़

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर परिसर में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोह / बैठकों में अल्पाहार / भोजन / अन्य व्यवस्थाओं हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध किये जाने बाबत्।

1. निविदादाता का नाम व पूर्ण पता . __________________________________

   ____

2. मैंने / हमने निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं व मुझे / हमें आप द्वारा निर्धारित सभी नियम व शर्तें मान्य हैं।

अल्पाहार (नाश्ता)

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	दरें (जी.एस.टी. एवं अन्य व्यय सहित)			
		10 से 50 व्यक्तियों तक	51 से 100 व्यक्तियों तक	101 से 300 व्यक्तियों तक	300 व्यक्तियों से अधिक
1.	कचौड़ी / समोसा / कोफ्ता / ब्रेड पकौड़ा / डबल ब्रेड / पेटीज / एक पीस मीठाई, मठड़ी, वेफर्स, चाय / कॉफी (मीठी / फीकी), 200 एम.एल. पानी की बोतल				
2.	छोले–भटूरे, फ्राई मिर्च, आचार, प्याज सलाद, गुलाब जामुन / रसगुल्ला / अंगूरी पेठा; (कोई एक मिठाई), चाय / कॉफी (मीठी / फीकी), 200 एम.एल. पानी की बोतल,				
3.	इडली सांभर, बड़ा, नारीयल चटनी, ईमरती / जलेबी, चाय / कॉफी (मीठी / फीकी), 200 एम.एल. पानी की बोतल				
4.	मिक्स पकौड़ी, दाल पकौड़ी, वेज मेयो सेण्डविच, हरी चटनी, गुलाब जामुन / रसगुल्ला / काला जाम / अंगूरी पेठा / नारीयल बर्फी (कोई एक मिठाई), चाय / कॉफी (मीठी / फीकी), 200 एम.एल. पानी की बोतल				
5.	पोहा, खम्मन, वेज सेण्डविच / ब्रेड विथ बटर एण्ड जैम, चाय / कॉफी (मीठी / फीकी), 200 एम.एल. पानी की बोतल				
6.	कढी कचौरी / समोसा, हरी मीठी चटनी, आचार, उपमा, चाय / कॉफी (मीठी / फीकी), 200 एम.एल. पानी की बोतल				
7.	चाय / कॉफी (100 एम.एल.), छोटा पैकेट बिस्किट				
नोटः– आवश्यकता होने पर उपरोक्त नाश्ते के पैकेट भी तैयार करवाये जा सकते है।					
भोजन					
1.	दाल मिक्स / दाल तड़का / दाल फ्राई, मिक्स वेज / कोई भी मौसमी सब्जी, प्लेन चावल, सलाद, आचार, 200 एम.एल. पानी की बोतल				
2.	दाल मिक्स / दाल तड़का / दाल फ्राई, मिक्स वेज / कोई भी मौसमी सब्जी, प्लेन चावल, सलाद, आचार, 200 एम.एल. पानी की बोतल काला जाम / गुलाब जामुन / रसगुल्ला / केसर बाटी / रसमलाई (कोई भी एक मिठाई)				
3.	छोले, वेज रायता, पुडी, चावल, मिर्च टमाटर, आचार, पापड़, सलाद, दाल पकौड़ी, हरी मीठी चटनी, काला जाम / गुलाब जामुन / रसगुल्ला / केसर बाटी /				

	रसमलाई (कोई भी एक मिठाई)				
4.	दाल फ्राई, पनीर नूरानी/शाही पनीर/बटर पनीर मसाला/कढ़ाई पनीर/मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज (मौसम अनुसार)/कश्मीरी दम आलू/शाही टिण्डे, तवा सब्जी, तवा चपाती, मिस्सी रोटी, तंदूरी रोटी, जीरा राईस/कश्मीरी पुलाव/मिक्स वेज पुलाव, बूंदी रायता/फ्रूट रायता/वेज रायता/दही बड़े, मिर्च फ्राई, आचार, रोस्टेड पापड़, सलाद, खस्ता कचौरी, हरी मीठी चटनी, मैंगो रबड़ी/फ्रूट रेनबो/रसमलाई/काजू कतली/ड्राई फ्रूट बर्फी/गरम बूंदी/गुलाब जामुन/दाल हलवा/गाजर हलवा/मालपुए (कोई भी तीन मिठाई), 200 एम.एल. पानी की बोतल (दाल के साथ कोई भी दो सब्जी एवं तवा सब्जी)				
5.	दाल फ्राई, बाटी मसाला एवं प्लेन, कढ़ी/गट्टे की सब्जी, मिर्च के टिपोरे, लहसुन की चटनी, चावल, निम्बू, दो तरह कर चूरमा, रोस्टेड पापड़, छाछ, 200 एम.एल. पानी की बोतल				
नोटः– आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार क्रम सं. 1 व 2 के भोजन के पैकेट भी तैयार करवाये जा सकते है।					
	हाई–टी				
1.	<u>हाई–टी</u> ड्राई फ्रूट्स, वेज मेयो सेंडविच, श्रीखण्ड, लस्सी, खम्मन, खांडवी, फ्रेंच फ्राईज, ब्रैड रोल, डबज ब्रैड, कटलेट, गर्म राबड़ी/छाछ राबड़ी (कुल्हड़ में), चाय/कॉफी (मीठी व फीकी), 200 एम.एल. पानी की बोतल				
2.	<u>हाई–टी (एट होम)</u> पनीर व पालक पकौड़ा, खस्ता कचौरी, ग्रिल्ड सेंडविच, खमन, वेजीटेबिल सेंडविच, कस्टर्ड फ्रूट क्रीम, रसमलाई, मटका कुल्फी (पत्ते पर), बैकरी कुकीज (मीठी व नमकीन), चाय (मीठी व फीकी), कॉफी, 200 एम.एल. पानी की बोतल				

नोटः–

1. **(भोजन एवं अल्पाहार व अन्य व्यवस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति/महिला स्वच्छ एवं साफ वर्दी में दस्ताने पहनकर भोजन व्यवस्था करेंगे। टेबिल पर उच्च क्वालिटी की एप्रिन लगाकर कैटर्स द्वारा भोजन करवाने की व्यवस्था भी करेंगे तथा खाने की प्लेट एवं कटलरी उच्च क्वालिटी की एवं साफ–सुथरी होगी)**
2. **कार्यादेश जारी होने के पश्चात् आगन्तुकों की संख्या में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। न्यूनतम संख्या कार्यादेश में उल्लेखित की जा सकेगी।**
3. **उक्त समस्त सामग्री को तैयार करने हेतु उच्च क्वालिटी यथा देशी घी–सरस, सोना सिक्का मूंगफली तेल तथा अच्छी मार्का कम्पनी के मसालों व भोजन सामग्री का प्रयोग करना आवश्यक है।**
4. **भोजन व्यवस्था हेतु पानी की बोतलों के अतिरिक्त पानी के कैम्पर व गिलास की व्यवस्था अलग से करनी होगी।**

उपरोक्त दी गई दरों पर विश्वविद्यालय परिसर में उपरोक्त वर्णित कार्य को निविदा के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु सहमत हूँ साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि उक्त कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आगन्तुकों एवं अधिकारी/कर्मचारी से व्यवहार कुशलपूर्वक रखूंगा।

नोटः–

प्रस्तावित दरें एक वर्ष के लिये वैध होगी। जिसकी अवधि आगे 3 (तीन) माह तक के लिये पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Annexure A : Compliance with the Code of integrity and No Conflict of interest

Any person participation in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti –competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to.

a. Have controlling partners/shareholders in common: ot

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them, or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid'; or

f. the Bidder or any of it's a ffiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid ;or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hred) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Appellant Signature

Annexure B : Declaration be the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to may/our bid submitted to ....for procurement of -- in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competitions;

Date :
Place ;

Signature of bidder
Name
Designation;
Address:

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Vice-Chancellor MDSU, Ajmer.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Joint Secretary, Hr. Education (Gr.IV) Department, Government of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filling an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days form the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable;

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely;-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality,

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form alongwith as may copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies therof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Appellant' Signature

ANNEXURE D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is oontained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price sthall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there is and obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the Total shall be corrected ; and

iii. if there isa discrepancy between words is related to and arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document, It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case procurement of Goods of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Appellant' Signature

Form No. 1

(see rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appeilant;
   (ii) Residential Address :
2. Name and address of the respondent (s);
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office /authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a secision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appelian; is aggrieved
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and dovuments enclosed with the appeal;
6. Grounds of appeal;
   ....
   ....
   .... (supported by an affidavit)

7 ....
....
....

Place ....

Dated ....

Appellant' Signature

Annexure 3

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 की धारा 7(2) व 11 के अन्तर्गत घोषणा पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ/करते है कि :–

धारा 7(2)

1 आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता

दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

2 ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

3 दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

4 वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

5 ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

6 कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

धारा 11

7 किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

i उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान–प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का

ii दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके :

iii उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी–विरोधी व्यवहार का

iv बोली प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का :

v बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार संबंधी संव्यवहारों का:

vi उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीडन का :

8 किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का : प्रतिषेध करने

9 हित के विरोध का प्रकटीकरण करने

10 अंतिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के संबंध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के संबंध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने, के उपबन्ध सम्मिलित है।

11 अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी :–

i उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन

ii संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना

iii उपापन से संबंधित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना

iv उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली

v उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली

vi उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

बोलीदाता के हस्ताक्षर